सत्यमेव जयते
Web Copy - Not for Official Use

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/52** दायर दिनांक **03.03.2017**

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पूर्णाराम पुत्र अन्नाराम<br>2. लालाराम पुत्र अन्नाराम<br>3. रामेश्वरराम पुत्र अन्नाराम<br>4. शंकरराम पुत्र नानुराम<br>5. नरसीराम पुत्र नानुराम<br>6. बेगाराम पुत्र मोहनराम<br>7. रामदेवाराम पुत्र दुदाराम<br>8. किसनाराम पुत्र छगनाराम<br>समस्त जाति मेघवाल<br>निवासी ललासरी<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। | **बनाम्** | 1. सुवटी देवी पत्नी लालाराम जाति मेघवाल निवासी ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान<br>2. तहसीलदार डीडवाना |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.**

**उपस्थित–**

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेन्द्र पुरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0 01

## –:: निर्णय ::–

दिनांक **23.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पक्षकारान की वंशावली वाद के साथ पेश है। दुदाराम जी के खातेदारी की राजस्व भूमि वाकै सरहद ललासरी के खसरा नं0 290 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 295 रकबा 38 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 350 रकबा 24 बीघा कुल रकबा 169 बीघा 01 बिस्वा है जिस पर दुदारामजी के पांच पुत्रगण होने से बाद दुदारामजी के फोतगी के प्रत्येक का मौखिक बंटवारा हो चुका है। अन्नाराम की मृत्यू हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी वादी सं0 01, 02 व 03 उनके पुत्रगण है तथा नानूरामजी की मृत्यू के पश्चात उनके उत्तराधिकारिगण वादी सं0 04 शंकराराम पुत्र है व वादी सं0 05 नरसीराम व मोहनराम की मृत्यू के बाद वादी सं0 06 बेगाराम व रामदेवाराम पुत्र दुदाराम वादी सं0 07 तथा छगनाराम की मृत्यू के बाद उसका दत्तक पुत्र किसनाराम वादी सं0 08 है जो अपने–अपने मौखिक बंटवारानुसार काबिज है।

मौजा ललासरी में अवस्थित खेत खसरा नं0 295 जो वादी सं0 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसको वादी सं0 02 व 03 वादी सं0 01 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा बंट में देना चाहते है जो

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/52
दायर दिनांक 03.03.2017, निणर्य दिनांक 23.11.2017
पूर्णाराम बनाम सुवटी देवी, वगैरा।

रकबा 18 बीघा का घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती से वादी सं0 01 के नाम सम्पूर्ण खातेदारी घोषित की जावें। वादी सं0 02 व 03 लालाराम व रामेश्वरलाल के हक बंट हिस्सा में खसरा नं0 290 कुल रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा में से रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा में से 12 बीघा 02 बिस्वा लालाराम के तथा 15 बीघा 02 बिस्वा रामेश्वर के बंट में रखा जावें। वादी सं0 04 व 05 शंकरलाल व नरसीराम के नाम बंटवारा कर खसरा सं0 290 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा में से 27 बीघा 04 बिस्वा रखा जावें। वादी सं0 06 बेगाराम के नाम खसरा सं0 350 कुल रकबा 24 बीघा में से 17 बीघा 10 बिस्वा रखा जावें। रामदेवाराम वादी सं0 07 के नाम खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 25 बीघा 04 बिस्वा रखा जावें। किशनाराम पुत्र छगनाराम वादी सं0 08 के नाम खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 07 बिस्वा व खसरा सं0 350 रकबा 24 बीघा में से 06 बीघा 10 बिस्वा रखा जावें। वादी सं0 06 बेगाराम ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान करने से क्रेता सुवटी पत्नी लालाराम प्रतिवादी सं0 01 के नाम खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 15 बीघा की घोषणा खातेदारी कर बंट रखा जावें।

यह है कि उपरोक्त खेत संयुक्त खातेदारी का होने से पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होने तथा किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने में समस्या हो रही है। इस कारण बंटवारा का दावा करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि :–

यह है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावें की मौजा ललासरी में अवस्थित राजस्व भूमि जिसका वाद के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर घोषणा खातेदार रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा निर्णय मय डिक्री जारी की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से वकील श्री सुरेन्द्र पुरी ने वकालतनामा पेश किया।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ने दिनांक 26.04.2017 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद चतुर्वेदी ने की व प्रतिवादी सं0 01 की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पुरी ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा दावा के अनुसार अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

अतः पक्षकारान् राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/52
दायर दिनांक 03.03.2017, निणर्य दिनांक 23.11.2017
पूर्णाराम बनाम सुवटी देवी, वगैरा।

## आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ललासरी के खसरा संख्या 295 रकबा 38 बीघा 19 बिस्वा में से 18 बीघा वादी सं0 01 पूर्णाराम के घोषित की जाती है, खसरा सं0 290 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा में से 12 बीघा 02 बिस्वा वादी लालाराम व 15 बीघा 02 बिस्वा वादी रामेश्वर के बंट में घोषित की जाती है, खसरा सं0 290 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा में से 27 बीघा 04 बिस्वा वादी सं0 04 व 05 शंकरलाल व नरसीराम के घोषित की जाती है, खसरा सं0 350 रकबा 24 बीघा में से 17 बीघा 10 बिस्वा वादी सं0 06 बेगाराम के नाम घोषित की जाती है, खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 25 बीघा 04 बिस्वा वादी सं0 07 रामदेवाराम के घोषित की जाती है, खसरा नं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 07 बिस्वा व खसरा सं0 350 रकबा 24 बीघा में से 06 बीघा 10 बिस्वा वादी सं0 08 किसनाराम पुत्र छगनाराम के नाम घोषित की जाती है, खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 15 बीघा प्रतिवादी सं0 01 सुवटी के नाम घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री के अभिन्न भाग रहेंगें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **23.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 52 / 2017

दायर दिनाँक 03.03.2017

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. पूर्णाराम पुत्र अन्नाराम<br>2. लालाराम पुत्र अन्नाराम<br>3. रामेश्वरराम पुत्र अन्नाराम<br>4. शंकरराम पुत्र नानुराम<br>5. नरसीराम पुत्र नानुराम<br>6. बेगाराम पुत्र मोहनराम<br>7. रामदेवाराम पुत्र दुदाराम<br>8. किसनाराम पुत्र छगनाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी ललासरी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. सुवटी देवी पत्नी लालाराम जाति मेघवाल निवासी ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान<br>2. तहसीलदार डीडवाना |

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 23.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, वकील, वादी व श्री सुरेन्द्र पुरी, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद ललासरी के खसरा संख्या 295 रकबा 38 बीघा 19 बिस्वा में से 18 बीघा वादी सं0 01 पूर्णाराम के घोषित की जाती है, खसरा सं0 290 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा में से 12 बीघा 02 बिस्वा वादी लालाराम व 15 बीघा 02 बिस्वा वादी रामेश्वर के बंट में घोषित की जाती है, खसरा सं0 290 रकबा 54 बीघा 08 बिस्वा में से 27 बीघा 04 बिस्वा वादी सं0 04 व 05 शंकरलाल व नरसीराम के घोषित की जाती है, खसरा सं0 350 रकबा 24 बीघा में से 17 बीघा 10 बिस्वा वादी सं0 06 बेगाराम के नाम घोषित की जाती है, खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 25 बीघा 04 बिस्वा वादी सं0 07 रामदेवाराम के घोषित की जाती है, खसरा नं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 11 बीघा 07 बिस्वा व खसरा सं0 350 रकबा 24 बीघा में से 06 बीघा 10 बिस्वा वादी सं0 08 किसनाराम पुत्र छगनाराम के नाम घोषित की जाती है, खसरा सं0 349 रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा में से 15 बीघा प्रतिवादी सं0 01 सुवटी के नाम घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री के अभिन्न भाग रहेंगें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | – | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | – | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner